समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय
विज्ञापन संख्या- 04/2026-27

पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, लुअठहाँ, मोतिहारी में रिक्ति के विरूद्ध नामांकन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

उक्त छात्रावास में अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को निःशुल्क आवासन की सुविधा प्रदान की जायेगी। नामांकित छात्रों को भोजनादि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। उक्त छात्रावास में नामांकन हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र (https://bcebconline.bihar.gov.in/cay/Default.aspx) सूचना प्रकाशन की तिथि से दिनांक- 05.11.2026 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए छात्र/अभिभावक प्रत्येक कार्य दिवस को अपराह्न 1.00 बजे से 03.00 बजे तक जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी में सम्पर्क कर सकते है।

जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, लुअठहाँ, मोतिहारी में 16 सीटें रिक्त है।

- नामांकन की शर्तें :-
  01.आवेदक अति पिछड़ा वर्ग का छात्र हो।
  02.बिहार राज्य का निवासी हो।
  03.मोतिहारी स्थित सरकारी/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रम में 2026-27 में नामांकित एवं अध्ययनरत हो।
  04.अर्हता प्राप्त आवेदकों में उच्च प्राप्तांक एवं कम आय वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।
  05.आवेदन पत्र संबंधित संस्थान से अग्रसारित हो।
- आवेदन की प्रक्रिया :-
  1. ऑनलाईन आवेदन पत्र bcebconline.bihar.gov.in पर निर्धारित तिथि तक किया जा सकता है।
  2. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों/कागजातो की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक हैं :-

  (i) फोटो की तीन प्रति।
  (ii) RTPS नंबर युक्त जाति प्रमाण पत्र की प्रति।
  (iii) RTPS नंबर युक्त निवास प्रमाण पत्र की प्रति।
  (iv) RTPS नंबर युक्त आय प्रमाण पत्र की प्रति।
  (v) मोतिहारी स्थित शिक्षण संस्थान में नामांकन के साक्ष्य/ नामांकन रसीद, शुल्क रसीद, Recommendation Letter from Institution आदि।
  (vi) आधार कार्ड की प्रति एवं महाविद्यालय के आई0कार्ड की प्रति।
  (vii) विगत परीक्षा का अंक प्रमाण पत्र की प्रति।

ऑलनाईल आवेदन पत्र के सभी कॉलम सही-सही भरा होना चाहिए। अपूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र एवं वांछित अनुलग्नक नहीं संलग्न किये गये आवेदन पत्र रद्द कर दिए जायेंगे। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायगा। आवेदन पत्र में दी गई सूचना गलत पाये जाने पर गलत सूचना अंकित करने वाले छात्रों का नामांकन रद्द करने का अधिकार नामांकन समिति को होगा।

21.X.26

उप विकास आयुक्त,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।